श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर फार्म क्रमांक 8 कर्मचारी संख्या.....

[कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभों के लिये नाम निर्देषन, जब कर्मचारी का कोई परिवार हो और वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देषित करना चाहता / चाहती हो।]

मैं एतद् द्वारा सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर देय हुई या मेरे द्वारा अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर संदेय हुई किंतु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रही ऐसी किसी भी राषि को जो, कि कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत मंजूर की जाये, नीचे विनिर्दिष्ट परिणाम में प्राप्त करने के लिये उल्लेखित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम निर्देषित करता/करती हूँ और उसे/उन्हें उक्त राषि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ।

	- 10	4 4 2 2	ATT 1	A	A A C	
क्र.	निर्देषित /	कर्मचारी से	आयु	♦ प्रत्येक को	♦♦ किन घटनाओं के	उस व्यक्ति का नाम, पता तथा
	निर्देषेतियों का / के	सम्बन्ध		कितना भाग	घटित होने पर नाम	संबंध, यदि कोई हो, जिसे
	नाम तथा पता / पते			संदत्त किया	निर्देषित अविधिमान्य हो	कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नाम
	·			जाएगा	जाएगा	निर्देषिती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नाम निर्देषिती का
				0117.11	311 3 11	क्रिक्ति में नाम निर्देषिती का
						अधिकार संक्रांत हो जाएगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<i>(6)</i>	(7)
1						
-						
2						
3						
3						

टिप्पणी: कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आर-पार एक रेखा खींच देनी चाहिए, ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम स्थापित न किए जा सकें।

दिनांक माह20 स्थान	कर्मचारी :
दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	के हस्ताक्षर नाम :
हस्ता :	पदनाम :
पता :	विभाग :
हस्ता :	
पता :	

- यह खाना इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि बीमा योजना के अंतर्गत नाम, पदनाम एवं विभाग संदेय सम्पूर्ण राषि का
 समावेष हो जाए।
- ♦♦ जहाँ कोई ऐसा कर्मचारी निर्देषित करता हो, जिसका कोई परिवार न हो, वह खाने में विनिर्दिष्ट करेगा कि यदि उसका कोई परिवार हो जाता है तो यह निर्देषन अमान्य हो जाएगा।

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर फार्म क्रमांक 7 कर्मचारी संख्या.....

[कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभों के लिये नाम निर्देषन, जब कर्मचारी का कोई परिवार न हो और वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देषित करना चाहता / चाहती हो।]

मैं एतद् द्वारा सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर देय हुई या मेरे द्वारा अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर संदेय हुई किंतु मेरी मृत्यु के समय असंदत्त रही ऐसी किसी भी राषि को जो, कि कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत मंजूर की जाये, नीचे विनिर्दिष्ट परिणाम में प्राप्त करने के लिये उल्लेखित व्यक्ति/व्यक्तियों, जोकि मेरे परिवार का/के सदस्य हैं, के नाम निर्देषित करता/करती हूँ और उसे/उन्हें उक्त राषि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ।

<u>क्र</u> .	निर्देषित / निर्देषेतियों का / के नाम तथा पता / पते	कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु		♦♦ आकस्मिकता, जिनके घटित होने पर नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, पता तथा संबंध, यदि कोई हो, जिसे कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नामिति की मृत्यु / आकस्मिकता हो जाने की स्थिति में नाम निर्देषिती का अधिकार संक्रांत हो जाएगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

टिप्पणी : कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आर—पार एक रेखा खींच देनी चाहिए, ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी नाम स्थापित न किए जा सकें।

में यह भी निर्देषित करता हूं कि यदि कालांतर में मेरा परिवार निर्मित हो जाता है तो यह नामांकन अमान्य हो जाएगा।

दिनांक माह20 स्थान दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	कर्मचारी : के हस्ताक्षर नाम :
हस्ता : नाम :	पदनाम :
पता :	विभाग :
हस्ता : नाम : पता :	

- ♦♦ जहाँ कोई ऐसा कर्मचारी निर्देषित करता हो, जिसका कोई परिवार न हो, वह खाने में विनिर्दिष्ट करेगा कि यदि उसका कोई परिवार हो जाता है तो यह निर्देषन अमान्य हो जाएगा।

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

कर्मचारी संख्या.....

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान हेतु नामांकन-पत्र

Nomination Form for Death-cum-Retirement Gratuity

[i. <u>नियम 4(6) (ए) देखें।</u> ii. केवल दिनांक 05/03/2014 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा भरा जावे।] [i. See Rule 4(6)(A). ii. to be filled up by the employees, appointed before 05/03/2004 only.]

[जब कर्मचारी का परिवार हो और वह उसमें से एक या एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहता / चाहती हो।] [When the subscriber has a family and wishes to nominate one or more than one member thereof]

	मैं एतद् द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित	व्यक्ति / व्यक्तियों, जो	के मेरे परि	वार का / के सदस्य हैं, को नामांकित करता हूँ	एवं			
उसे/उ	न्हें मेरी मृत्यु होने की स्थिति में संस्था	ान द्वारा स्वीकृत की ग	ई उपादान	(Gratuity) की राषि को प्राप्त करने हेतु अधिव	कृत			
करता /	करती हूँ। I hereby the nomina	te the person(s) is	/are men	ntioned below who is/are member of a	ny			
family and concern on him/them the right to receive any gratuity sanctioned by the institute								
Govern	ment in the event of my death	:-						
	नामांकित व्यक्ति का नाम एवं पता							
	Name & Address of nominee							
-	कर्मचारी से संबंध Relationship w	ith Employee						
-	आयु Age							
-	आकस्मिकता, जिसके होने पर	उपरोक्त नामांकन						
	अमान्य / निरस्त हो जायेगा।	09(19(1 11111971						
	Contingencies on the happen:	ing of which the						
	nomination shall become inva							
-	उस व्यक्ति का नााम, पता एवं स							
	नामित व्यक्ति की मृत्यु / उपरोक्त अ							
	की मृत्यु के पूर्व होने पर नामित क							
	जायेगा। Name, address &	-						
	person if any to whom the rig the nominee shall pass in t							
	nominee predeceasing the emp							
मैं एतद	द्वारा उपरोक्तानुसार नामांकित व्यकि	त / व्यक्तियों को मेरी	मृत्यु होने	की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत की जाने	वाली			
				ों की समस्त राषि को प्राप्त करने हेतु भी आं				
				ed person/persons to receive all the amo				
of Enc	eashment of EL. Balance Sala	rv and Arrears ar	nd any o	ther payments, sanctioned by the inst	itute			
	uent upon my death.	ary and rinears ar	ia any o	mer payments, sanctioned by the mist	reace			
conseq		TT=	वर्ष	TOTAL				
	DATED THIS	माह DAY OF		स्थान ^ ग				
	DATED THIS	DAI OF						
			हस्ताक्षर	•				
	दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पर							
	Signature of two witnesse	es	Name					
			पदनाम	:				
	हस्ता / Sign. :		Desg.					
	नाम / Name :		विभाग :					
	पता / Add :		Deptt.					
	हस्ता / Sign :							

नाम / Name : पता / Add :

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

कर्मचारी	संख्या

मृत्यु—सह—सेवानिवृत्ति उपादान हेतु नामांकन—पत्र

Nomination Form for Death-cum-Retirement Gratuity

[i. <u>नियम 4(6) (ए) देखें।</u> ii. केवल दिनांक 05/03/2014 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा भरा जावे।] [i. See Rule 4(6)(A). ii. to be filled up by the employees, appointed before 05/03/2004 only.]

[जब कर्मचारी का परिवार न हो और वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता / चाहती हो।] [When the subscriber has no family and wishes to nominate one or more than one person(s)]

मैं, नियमों के अंतर्गत कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में, एतद् द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, नामांकित करता हूँ एवं उसे/उन्हें मेरी मृत्यु होने की स्थिति में संस्थान/शासन के द्वारा स्वीकृत की गई उपादान (Gratuity) की राषि को प्राप्त करने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। I, having no family under the rules, hereby nominate the person(s) mentioned below, and concern on him/her/them the right to receive any gratuity sanctioned by the Institute / Government in the event of my death:
नामांकित व्यक्ति का नाम एवं पता

नामांकित व्यक्ति का नाम एवं पता	
Name & Address of nominee	
कर्मचारी से संबंध, यदि कोई हो	
Relationship with Employee, if any	
आयु Age	
आकरिमकता, जिसके होने पर उपरोक्त नामांकन	
अमान्य / निरस्त हो जायेगा।	
Contingencies on the happening of which the	
nomination shall become invalid.	
उस व्यक्ति का नााम, पता एवं संबंध (यदि कोई हो),	
जिसे उपरोक्त नामित व्यक्ति की मृत्यु/उपरोक्त	
आकरिमकता कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व होने पर नामित	
का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। Name, address &	
relationship (if any)of person to whom the	
right concerned on the nominee shall pass in	
the event of the nominee predeceasing the	
employee.	

मैं एतद् द्वारा उपरोक्तानुसार नामांकित व्यक्ति / व्यक्तियों को मेरी मृत्यु होने की स्थिति में संस्थान द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाष नगदीकरण, शेष वेतन, बकाया (Arrears) एवं अन्य भुगतानों की समस्त राषि को प्राप्त करने हेतु भी अधिकृत करता हूँ | I hereby also nominate and authorise the above nominated person/persons to receive all the amounts of EL Encashment, Balance Salary and Arrears and any other payments, sanctioned by the institute consequent upon my death.

मैं यह भी निर्देषित करता हूं कि कालांतर में यदि मेरा परिवार निर्मित हो जाता है तो यह नामांकन अमान्य हो जाएगा। I hereby also direct that this nomination will become invalid/void consequent upon my acquiring a family as per the rules.

दिनांक	माह	वर्ष	स्थान	
DATED THIS	DAY OF	20	AT	
दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	हर	ताक्षर :		
Signature of two witnesses		नाम :		
		Name		
हस्ता. / Sign. :		पदनाम :		
नाम / Name :		Desg.		
पता / Add :		विभाग : .		
		Deptt.		
हस्ता. / Sign :				
नाम / Name :				
पता / Add :				

(For Office Use only)

Nomination by...... Designation...... Deptt.....

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर अंषदायी भविष्य—निधि नियम CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES [नियम— 2 (iii)] देखें SEE RULE -2 (iii)] कर्मचारी संख्या........

नामांकन-प्रपत्र FORM OF NOMINATION

[जब कर्मचारी का परिवार न हो और वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता / चाहती हो।] [When the subscriber has no family and wishes to nominate one or more than one person.]

में, श्री गोविन्दराम सेकसिरया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान अंषदायी भविष्य निधि योजना, इन्दौर के नियम 2 के अंतर्गत मेरा कोई परिवार नहीं होते हुए, एतद् द्वारा निम्नानुसार व्यक्ति/व्यक्तियों को निधि में मेरी जमा राषि मुझे देय होने के पूर्व मेरी मृत्यु होजाने की स्थिति में अथवा मुझे देय होने के उपरांत, किंतु मुझे भुगतान किये जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्राप्त करने के लिये नामांकित करता/करती हूँ. एवं निर्देषित करता/करती हूँ कि उक्त राषि इन व्यक्तियों में उनके नाम के सम्मुख दर्षाये अनुसार वितरित की जावेगी। I, having no family as defined in rule No.-2 of the Shri Govindram Seksaria Technological Institute contributory provident fund rules, Indore, hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid; and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names.

नामित / नामितियों का /के नाम तथा पता /पते	कर्मचारी से सम्बन्ध, यदि कोई हो	आयु Age		♦♦ आकिस्मकता, जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो	उस व्यक्ति का नाम, पता तथा संबंध, यदि कोई हो, जिसे कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नामिति की मृत्यु/आकस्मिकता
Name(s) and Address(s) of the nominee(s)	Relationship with the Subscriber, if any		accumulation payable to each	जाएगा।	हो जाने की स्थिति में नाम निर्देषिती का अधिकार संक्रांत हो जाएगा।Name, address and relationship, if any, to whom the right of nominee shall
				become invalid	pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.
1	2	3	4	5	6

मैं यह भी निर्देषित करता हूं कि कालांतर में यदि मेरा परिवार निर्मित हो जाता है तो यह नामांकन अमान्य हो जाएगा। I hereby also direct that this nomination will become invalid/void consequent upon my acquiring a family as per the rules.

दिनांक	माह	वर्ष स्थान	
DATED THIS	DAY OF	20 AT	
दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं प	ाता	हस्ताक्षर:	
Signature of two witnesse	es	नाम :	
		Name	
हस्ता / Sign. :		पदनाम :	
नाम / Name :		Desg.	
पता / Add :		विभाग :	
		Deptt.	
हस्ता / Sign :			
नाम / Name :			Attested
पता / Add :			
			HOD / Incharge

- यह कॉलम इस तरह भरा जाना चाहिये कि निधि में जमा सम्पूर्ण राषि पूर्णतः सिम्मिलित हो जावे। This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the fund at any time.
- यदि कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है एवं उसने उपरोक्त नामांकन किया है तो कर्मचारी के द्वारा कालांतर में परिवार प्राप्त करने की स्थिति में यह नामांकन अमान्य ∕ निरस्त माना जावेगा। Where a subscriber who has no family makes a nomination it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

नियम 2(iii) के अंतर्गत: परिवार अर्थात् — पुरूष के प्रकरण में — पत्नी / पत्नियाँ तथा महिला के प्रकरण में पति; तथा अंषदाता के बच्चे तथा अंषदाता के दिवंगत पुत्र की पत्नी / पत्नियाँ तथा बच्चे | Under rule 2(iii): a family means — in case of male- wife / wives and in case of female- husband; and children of the subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber.

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

अंषदायी भविष्यनिधि नियम contributory provident fund

[नियम-2 (iii)] देखें SEE RULE 2 (iii)]

कर्मचारी संख्या.....

नामांकन-प्रपत्र FORM OF NOMINATION

[जब कर्मचारी का परिवार हो और वह एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहता / चाहती हो।] [When the subscriber has a family and wishes to nominate one or more than one member thereof]

में, श्री गोविन्दराम सेकसिरया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान अंषदायी भविष्य निधि योजना, इन्दौर के नियम 2 के अंतर्गत मेरे परिवार के निम्नानुसार सदस्य/सदस्यों को निधि में मेरी जमा राषि मुझे देय होने के पूर्व मेरी मृत्यु होजाने की स्थिति में अथवा मुझे देय होने के उपरांत, किंतु मुझे भुगतान किये जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्राप्त करने के लिये नामांकित करता/करती हूँ, एवं निर्देषित करता/करती हूँ कि उक्त राषि इन व्यक्तियों में उनके नाम के सम्मुख दर्षाये अनुसार वितरित की जावेगी। I, hereby nominate the person/persons mentioned below, who is/are member(s) of my family as defined in rule-2 of Shri G. S. Institute of Tech. and Science Contributory Provident Fund Rules, Indore to receive the amount that stand to my credit in the fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid; and direct that the said amount shall be paid/distributed among the said person(s) in the manner shown below against his/her/their name(s):-

नामित / नामितियों का / के नाम तथा पता / पते Name(s) and Address(s) of the nominee(s)	कर्मचारी से सम्बन्ध, यदि कोई हो Relationship with the Subscriber, if any	आयु Age	 	आकस्मिकता, जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा। ♦♦Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	उस व्यक्ति का नाम, पता तथा संबंध, यदि कोई हो, जिसे कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नामिति की मृत्यु / आकर्स्मिकता हो जाने की स्थिति में नाम निर्देषिती का अधिकार संक्रांत हो जाएगा। Name, address and relationship, if any, to whom the right of nominee shall pass in
					the event of his/her predeceasing the subscriber.
1	2	3	4	5	6

दिनांक	माह	वर्ष	स्थान		
DATED THIS	DAY OF	20	AT		
दो साक्षी के हस्ताक्षर, नाम एवं प	ता	हस्ताक्ष	₹:		
Signature of two witnesse	S	नाम :			
		Name			
हस्ता / Sign. :		पदनाम	:		
नाम / Name :		Desg.			
पता / Add :		विभाग	:		
		Deptt.			
हस्ता / Sign :				Attested	
नाम / Name :					
पता / Add :				HOD / Incharge	

and children of a deceased son of the subscriber.

यह कॉलम इस तरह भरा जाना चाहिये कि निधि में जमा सम्पूर्ण रािष पूर्णतः सिमालित हो जावे। This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the fund at any time.
 नियम 2(ii) के अंतर्गत : परिवार अर्थात् — पुरूष के प्रकरण में — पत्नी / पित्नयाँ तथा मिहला के प्रकरण में पित; तथा अंषदाता के बच्चे तथा अंषदाता के दिवंगत पुत्र की पत्नी / पित्नयाँ तथा बच्चे | Under rule 2(iii) : a family means — in case of male- wife / wives and in case of female- husband; and children of the subscriber and the widow or widows

Employee	No
-----------------	----

♦ Amount ♦♦ Contingencies Name, address

SHRI G. S. INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, INDORE

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES FIRST SCHEDULE SEE RULE [5 (3)] FORM OF NOMINATION

When the subscriber has a family and wishes to nominate one or more than one member thereof.

I hereby nominate the person/persons mentioned below, who is/are member/s of my family as defined in rules 2 of Shri G. S. Institute of Tech. and Science Contributory Provident Fund Rules, Indore to receive the amount that stand to my credit in the fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be paid/distributed among the said person/s in the manner shown below against his/her/their names:-

Relationship Age

Name and

Address of the nominee /nominees	with the Subscriber	1100	to be paid / share of accumulation to be paid to each	on the happening of which the nomination should become invalid	and relationship if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.	
1	2	3	4	5	6	
DATED THI	S		DAY (OF	AT	
	•••••			_		
Two witnesses	to Signature	:				
		-	Q: mm = 4==	f		
1/ Name & Address			Signatu:	re oi	-	
			Subscri			
			Full Nar	ne		
2/ Name & Address			Designa	_ Designation		

Attested

Department

Emp]	lovee	No		•••••
Emp.	loyee	NO	• • • • • • •	• • • • • • • •

SHRI G. S. INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, INDORE FORM - A

[See Rule 4 (6) (a)]

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

When the employee has a family and wishes to nominate one there of I hereby the nominate the person mentioned below who is member of my family and concern on him the right to receive any gratuity by sanctioned by Government in the event of my death.

Name & Address of nominee				
Relationship with Employee				
Age				
Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.				
Name, address & relationship of person if any to whom the right concerned on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the employee.				
DATED THIS	DAY OF AT			
Two witness to Signature				
1	Signature of Employee			
2 Signature of Employe Designation				
(To be filled in by Head of office in	the case of a Non Gazetted Officer.)			
Nomination				
by				
Designation				
Office				

(Signature & Designation of Head Office)

Date.....

SHRI G. S. INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, INDORE CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES FIRST SCHEDULE SEE RULE [5 (3)]

When the subscriber has no family and wishes to nominate one or more than one person.

I having no family as defined in rule No.2 of the Shri Govindram Seksaria Technological Institute contributory provident fund rules, Indore hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names.

Name and Address of the nominee	Relationship with the Subscriber	Age	 ♦ Amount share of accumulation to be paid to each 	♦ Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.	
1	2	3	4	5	6	
DATED TH	IS		DAY	OF	AT	
Two witnesses to Signature:						
1/ Name & Address Signature of						
			Sub	Subscriber		
		Full	Name			
2/ Name & Address			Des	Designation		
			Dep	Department		

Attested

HOD / Incharge

- ♦ This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the subscriber in the fund at any time.
- ♦♦ Where a subscriber who has no family makes a nomination it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.